17. पूर्ववर्ती माह में अदा की गई कुल मजदूरी

	कुल मजदूरी	7500/-रु. अथवा कम मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को अदा की गई मजदूरी
प्रधान नियोजक द्वारा प्रत्यक्षत: नियोजित कर्मचारियों को		
अव्यवहित नियोजक/ठेकेदार के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों को		

18. वह प्रथम तारीख सूचित करें जब क.रा.बी. अधिनियम के अधीन 10/20** अथवा अधिक व्याप्ति योग्य कर्मचारियों को मजदूरी पर नियोजित किया गया था। .....

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दिया गया विवरण मेरी अधिकतम जारकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है। मैं कोई परिवर्तन होने की स्थिति में उसकी सूचना परिवर्तन होने के पश्चात यथाशीघ्र तत्परतापूर्वक क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम को देने का भी वचन देता हूं।

तारीख:

नाम व हस्ताक्षर.....

स्थान

सील सहित पदनाम.....

(क.रा.बी. अधिनियम की धारा 2(17) के अधीन प्रधान नियोजक ही हस्ताक्षर करें)

* यदि कारखाना/स्थापन क.रा.बी. अधिनियम के अधीन पहले व्याप्त था तो पूर्व आवंटित नियोजक संकेत संख्या का कृपया उल्लेख करें।

* जो लागू नहीं है उसे काट दें। विनिर्माण प्रक्रिया में शक्ति का प्रयोग करने वाले कारखाने/स्थापना की स्थिति में लागू संख्या 10 या अधिक व्यक्ति है। शक्ति का प्रयोग न करने वाले कारखाने अथवा बिना शक्ति के प्रयोग के विनिर्माण प्रक्रिया में संलिप्त स्थापन अथवा किसी अन्य स्थापना के मामले में लागू संख्या 20 या अधिक व्यक्ति है।

अनुदेश

टिप्पण-1 कृपया निम्नलिखित विलेखों/कारनामों/प्रलेखों/प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतिया संलग्न करें :

(क) दुकान एवं स्थापना अधिनियम अथवा कारखाना अधिनियम के अधीन जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र/लाइसेंस।

(ख) यह उल्लेख करते हुए कि परिसर का किस रूप में अधिभोग कर रहे हैं, अधिभोगित परिसर के किराए का नवीनतम बिल, यदि लागू हो।

(ग) भवन कर/सम्पत्ति कर की नवीनतम रसीद(जेरोक्स)

(घ) संस्था के सीमा-नियम एवं अंतर्नियम/साझेदारी विलेख/न्यास विलेख

(ङ) उत्पादन आरम्भ करने के प्रमाण-पत्र की जेरोक्स प्रति और/अथवा केन्द्रीय बिक्री कर/बिक्री कर की पंजीकरण संख्या

टिप्पण-2 'शक्ति' से कारखाना अधिनियम, 1948 में समनुदेशित अर्थ अभिप्रेत हैं, जो नीचे दिए अनुसार है:–

'शक्ति' से वैद्युत उर्जा या उर्जा का कोई अन्य रूप अभिप्रेत है जिसका संचार यंत्र द्वारा किया जाता है और जिसका उत्पादन मानव या पशु द्वारा नहीं किया जाता है।

टिप्पण-3 कारखाना अधिनियम में 2(ट) में यथा परिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया निम्नानुसार है:–

विनिर्माण प्रक्रिया से अभिप्रेत है:–

(1) किसी वस्तु या पदार्थ के प्रयोग, विक्रय, परिवहन, परिदान, या व्ययन की दृष्टि से उसका निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, अलंकरण, परिष्करण, पैकिंग, स्नेहन, धुलाई, सफाई, विघटन, उन्मूलन या अन्यथा अभिक्रियान्वयन या अनुकूलन करने के लिए कोई प्रक्रिया

(2) तेल, जल, मल या कोई अन्य पदार्थ उद्धहित करने के लिए कोई प्रक्रिया;

(3) शक्ति का उत्पादन, रूपान्तरण या संचारण करने के लिए कोई प्रक्रिया;

(4) मुद्रण के लिए टाइप कम्पोज करने, लैटर प्रैस, अश्म मुद्रण, प्रकाशोत्कीर्ण या अन्य वैसी ही प्रक्रिया द्वारा मुद्रण या जिल्द-बन्दी करने के लिए कोई प्रक्रिया;

(5) पोतों या जलयानों को सन्निर्मित करने, पुन: सन्निर्मित करने, मरम्मत करने, पुन: फिट करने, परिष्कृत करने या विघटित करने के लिए कोई प्रक्रिया

(6) शीतागार में किसी वस्तु के परिरक्षण या भंडारकरण के लिए कोई प्रक्रिया।